दिनांक 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा महिला से मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर लुटेरा/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन रियल-मी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2025 को वादी श्री पंकज शर्मा एडवोकेट चैम्बर न0 1175 कलक्ट्रेट कोर्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात मोटरसाइकिल व्यक्तियों द्वारा वादी की बहन का मोबाइल फोन छीनकर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 59/25 धारा 304(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में झपटमारी/लूट/चोरी आदि घटनाओ की रोकथाम व लूटेरे/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर महिला से मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर लूटेरे **अभियुक्त गुलफिसान पुत्र जीसान अहमद नि0 निकट घास का काटा राय वाला थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** को रेलवे के नवनिर्मित रेलवे अंडर पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया 01 मोबाईल रियल-मी रंग सिल्वर व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 30.01.25 को दोपहर में मैंने और मेरे साथी ने मिलकर कोर्ट रोड पर एक लेडिस से यह मोबाइल झपटामार कर छीन लिया था और वहा से मोटरसाइकिल लेकर भाग गये थे। आज भी मैं यहाँ फिर से किसी घटना अंजाम देने के लिए आया था। ये जो मेरे पास मोबाइल है आज किसी राह चलते व्यक्ति को बेचने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे पकड़ लिया। और सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि तारीख तो मुझे याद नही है पर मैंने दिसम्बर के महिने में भी ITC रोड पर एक लड़की के हाथ से दोपहर के समय पन्त विहार के पास एक मोबाइल गोल्डन रंग का छीना था वो मोबाइल मैंने अकेले ने छीना था वो मोबाइल मैंने एक दिन स्टेशन के पास राह चलते आदमी को 1500 रुपये में बेच दिया था मोबाइल बेचकर जो पैसे मिले थे वो मुझसे खर्च हो गये। बिना नम्बर की मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो बताया कि यह मोटर साइकिल मेरी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुलफिसान पुत्र जीसान अहमद नि0 निकट घास का काटा राय वाला थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 मोबाइल फोन रियल-मी
- 01 मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त UP11AN7970)

<u>अभियुक्त गुलफिसान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः</u>

1. मु0अ0स0 141/21 धारा 379.411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 233/19 धारा 60 आबकारी अधिनिय थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0स0 214/21 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर
4. मु0अ0स0 59/25 अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2),318(4) बीएनएस सदर बाजार
5. मु0अ0स0 742/24 अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिहं थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. है0का0159 गौरव पूनिया थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. है0का0 616 अमित थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. काo 2212 राजवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त परवेज पुत्र बाजा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित स्पेशल केस न0 142/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 03 सहारनपुर) में ग्राम विसलहेड़ा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. परवेज पुत्र बाजा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाहा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब/मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त शाहआलम उर्फ बिल्ली पुत्र दिलशाद नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड सहारनपुर हाल पता रणदेवा रोड रॉयल सिटी कस्बा व थाना नकुड सहारनपुर** को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ग्राम रणदेवा रोड पर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त शाहआलम उर्फ बिल्ली उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हरियाणा में शराब सस्ती है पुलिस से छिपकर मै हरियाणा से शराब ले आता हूँ और अपने आस पास शराब पीने वाले लोगो को थोड़े महंगे दाम पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहआलम उर्फ बिल्ली पुत्र दिलशाद नि0 मौ0 जोगियान कस्बा व थाना नकुड सहारनपुर हाल पता रणदेवा रोड रॉयल सिटी कस्बा व थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 172/24 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 275/21 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 280/21 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 376/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 323/324/341 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 971 राशिद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त सन्नी पुत्र वीर सिंह निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0-9300/2023 धारा 394/411 भादवि थाना सदर बाजार में मनोहरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मामननी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सन्नी पुत्र वीर सिंह निवासी मनोहरपुर थाना सदर बाजार स0पुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास नाम व पता -

1. मु0अ0स0 074/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार
2. मु0अ0स0 205/23 धारा 394, 411 भादवि थाना सदर बाजार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 587 प्रदीप राना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 1837 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.01.2025 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 14/25 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 बनाम गगन पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही से उपरोक्त मुकदमे मे धारा 64(1) भा0न्या0सं0 व 3/4(1) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्ताही हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पोक्सो एक्ट में 01 वांछित **अभियुक्त गगन पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम साल्हापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गगन पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थान नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2245 अंशु यादव थान नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा गौकशी की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.04.2024 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित फर्द बाबत अभियुक्तगण 1. रफी पुत्र रसीद निवासी मौ0 हरबोवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद, 2.उस्मान पुत्र फैजान, 3. शहनवाज उर्फ भूरा पुत्र फैजान निवासीगण मौ0 शेखजादगान थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा पिकअप गाडी नं0 UP21DT1669 में मृत पशुओं के अवशेष ले जाने, जिससे संक्रमण/महामारी फैलने का खतरा होने के संबन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 82/24 धारा 269/270 भादवि के पंजीकृत किया गया तथा मौके से मृत पशुओ के अवशेष के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया। जिसमें प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/5(क) सीएस एक्ट की वृद्धी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में गौकशी के मामलें में 01 वांछित **अभियुक्त रफी पुत्र रसीद निवासी मौ0 हरबोवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद** को सरकारी अस्पताल नानौता के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रफी पुत्र रसीद निवासी मौहल्ला हरबोवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 597 मोहसीन खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक:03.02. 2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 कृपाण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 31.01.2025 को वादी हरजीत सिंह पुत्र श्री सूरजमल निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत बाबत विपक्षीगण 1.सोहन सिंह 2.मोहन सिंह पुत्रगण सुन्दर सिंह निवासीगण ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3.हरमीत कौर पुत्र व पता अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र विकास पर जान से मारने की नियत से छाती में तलवार घुसा देना व वादी द्वारा अपने पुत्र को बचाने पर वादी पर तलवार आदि से हमला करना व गाली गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 109(1)/131/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए **वांछित अभियुक्तगण 1. मोहन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. सोहनवीर पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को गंदासपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता से घटना मे प्रयुक्त एक कृपाण बरामद। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मोहन सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. सोहनवीर पुत्र सुन्दर सिंह निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 कृपाण (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2076 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1830 शुभम् थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 40,665/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.25 को वादी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह नि0 डकरावर खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से कुल 40,665/- रूपये की धनराशि ठग लेने के सम्बन्ध में साइबर हैल्पलाईन वैबसाइट पर शिकायत सं0 23101250017610 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतू जन-मानस को जागरुक करने व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक श्री अमित सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.01.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा **पीडित** श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह नि0 डकरावर खुर्द थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 40,665/- रूपये की धनराशि को विधिक कार्यवाही कर फ्लिपकार्ट मे होल्ड कराया गया था । आज दिनांक 03.02.2025 को थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित के साथ हुई 40,665/- रूपये की साईबर ठगी के शत प्रतिशत रूपये पीडित के खाते में वापस कराये गये । पीडित द्वारा ठगी **गयी** धनराशि खाते में वापस पाकर थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया ।

साइबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक (कार्यवाहक) श्री अमित सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।
3. कम्पयूटर ऑपरेटर नमन शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ।